बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

संख्या प्र0 2 वि01 75/2003 खाद्य, पटना/दिनांक –

विषय :– बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 यथासंशोधित 2006 के नियम 3 के उप नियम (1) में वर्णित प्रावधान के आलोक में राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण एवं जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों का क्रमशः रू0 – 20,000/– (बीस हजार) रू0 एवं 15,000/– (पंद्रह हजार) प्रतिमाह समेकित मानदेय की स्वीकृति।

बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली– 1987 यथासंशोधित 2006 के नियम 3 के उप नियम (1) में वर्णित प्रावधान के आलोक में राज्य आयोग एवं जिला फोरम के सदस्यों को समुचित मानदेय की आदेयता के संबंध में भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली के अर्द्ध सरकारी पत्र दिनांक 15.09.2013 में किये गये अनुरोध के आलोक में तथा पड़ोसी राज्यों द्वारा भुगतान किये जा रहे मानदेय को ध्यान में रखते हुए राज्य आयोग के सदस्यों को समेकित मानदेय रू0 20,000/– एवं जिला फोरमों के सदस्यों को समेकित रू0 15,000/– प्रतिमाह मानदेय की स्वीकृति मंत्रि परिषद् प्रदान की जाती है।

2. राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण एवं जिला उपभोक्ता फोरमों के सदस्यों को संशोधित मानदेय संकल्प निर्गम की तिथि से देय होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के अगले अंक में किया जाय।

(हुकुम सिंह मीना) 1/12/2014
सचिव।

ज्ञापांक प्र0 2 वि01 75/2003 – 9175 खाद्य, पटना/दिनांक 2.12.14

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सरकारी प्रेस, गुलजारबाग, पटना को इसे बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ एवं सी0डी0 के साथ प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संकल्प की 200 प्रतियाँ विभाग को अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सचिव

ज्ञापांक प्र0 2 वि01 75/2003 – 9175 खाद्य, पटना/दिनांक 2.12.14 1/12/2014

प्रतिलिपिः– सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/आयुक्त एवं विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निबंधक, राष्ट्रीय उपभोक्ता वाद निवारण आयोग, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना/अध्यक्ष, सभी जिला उपभोक्ता फोरम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/अवर सचिव (बजट)/प्र0 पदा, 01,02 एवं 05 एवं आई0टी0 मेनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव 1/12/2014